अति महत्वपूर्ण

पत्र सं0–स्था–3(क)– चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता सूची / 2024–25 / 3569 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 04 नवम्बर, 2024

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1
राज्य कर, उत्तर प्रदेश

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या–स्था–3(क) चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता सूची / 2024–25 / 2575 / राज्य कर दिनांक 12.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ लें। जिसमें पूर्व मनोरंजन कर विभाग के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुये दिनांक 30.06.2022 तक के चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते हुये निर्देशित किया गया था कि **अपने अधीनस्थ समस्त चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के कर्मचारियों को प्रत्येक दशा में सूची अवलोकित करा दिया जाय तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित विवरण को सम्बन्धित कार्यालय में रक्षित सेवापुस्तिकाओं से भी मिलान कर लिया जाये। तत्पश्चात् इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त अपने संयुक्त आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें कि उनके अधीनस्थ समस्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित विवरण अवलोकित करा दिया गया है। यदि किसी कार्मिक को ज्येष्ठता सूची में अपने स्थान / अपने सम्मुख अंकित समस्त विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है अथवा किसी कार्मिक का नाम व विवरण अंकित होने से रह गया है, तो उस कार्मिक से दिनांक 03.10.2024 तक प्रत्यावेदन /आपत्ति प्राप्त कर, उसे प्रत्येक दशा में नियत तिथि 09.10.2024 तक अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी, अपेक्षित साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाये, ताकि तद्नुसार ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके।**

अतः चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभी तक मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण त्रुटिरहित अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः मुख्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–2575 दिनांक 12.09.2024 में दिये गये निर्देशानुसार **अपने अधीनस्थ जोन के समस्त कार्यालयों से सूचना / प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उन्हें संभागवार संकलित कराकर मुख्यालय को दिनांक 05.11.2024 तक प्रत्येक दशा में E-Mail के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा चतुर्थ श्रेणी की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कोई सूचना / प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराया तो यह समझा जायेगा कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कोई त्रुटि नहीं है एवं प्राप्त सूचना के आधार पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत कर दी जायेगी।**

संलग्नक–यथोक्त।

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0 सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।

............2

2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय को अपने अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को दिनांक 12.09.2024 से निर्गत अनन्तिम सूची का अवलोकन कराते हुये प्राप्त आपत्तियों के साथ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. पटल प्रभारी, स्था–6 सामान्य, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, राज्य कर मुख्यालय।

(सत्येन्द्र कुमार)
उपायुक्त (स्थापना अराजपत्रित), राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पत्रांक–स्था–3(क)–चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता सूची/2024–25/ 2575 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 12 सितम्बर, 2024

--कार्यालय ज्ञाप--

अवगत कराना है कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची मुख्यालय पर उपलब्ध न होने के कारण समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर से मुख्यालय के पत्र संख्या–स्था–3(क) चतुर्थ श्रेणी संघ/2022–23/3492/राज्य कर दिनांक 04.11.2022 तथा क्रमशः अनुस्मारक पत्र संख्या– 4977 दिनांक–09.02.2023 अनुस्मारक पत्र संख्या– 4977 दिनांक– 09.02.2023, द्वितीय अनुस्मारक पत्र संख्या– 2305 दिनांक–04.08.2023 तृतीय अनुस्मारक पत्र संख्या– 2837 दिनांक– 12.09.2023 चतुर्थ अनुस्मारक पत्र संख्या– 3299 दिनांक–16.10.2023, पंचम अनुस्मारक पत्र संख्या– 5017 दिनांक– 09.02.2024, षष्ठम अनुस्मारक पत्र संख्या–5518 दिनांक–18.03.2024 के द्वारा जोनों में दिनांक–30.06.2022 तक तैनात समस्त चतुर्थ कार्मिकों का सेवा विवरण/डाटा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके अनुक्रम में समस्त जोनों एवं सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर) जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त सूचनाओं/डाटा के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सेवा विवरण/डाटा को कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित करते हुये अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है।

शासन के पत्र संख्या–946/11–3–2022–103/2017 टी0सी0 दिनांक 21.07.2022 द्वारा मनोरंजन कर विभाग के समस्त अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित संवर्गों में संविलियन नियमावली 2022 जारी की गयी है।

उक्त जारी की गयी संविलियन नियमावली के बिन्दु संख्या–3 में कहा गया है कि मौलिक नियुक्ति के दिनांक का तात्पर्य अधिसूचना दिनांक 24.04.2018 को धारित पद पर नियुक्ति के दिनांक से है। प्रस्तर–4(3) (1) व प्रस्तर–4(3)(2) में मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग को ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या–2576 दिनांक 05.09.2022 द्वारा वांछित मार्गदर्शन के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 28.11.2022 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि :–

"संविलियन सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि 24.04.2018 को धारित पद पर नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से) की तिथि को ही मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुये तदनुसार ही प्रथमतः प्रत्येक पद की समेकित ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।"

शासन के पत्र दिनांक 28.11.2022 द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशो तथा शासन के पत्र संख्या 946/11–2–2022–103/2017 टी0सी0 दिनांक 21.07.2022 के प्रस्तर–4(3)(1) मे दी गयी व्यवस्थानुसार पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को निम्न आधार पर वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची मे सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है:–

संविलियन नियमावली–2022 के प्रस्तर–4(3)(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करते समय उनकी परस्पर मूल ज्येष्ठता सूची में अंकित ज्येष्ठता क्रमानुसार सम्बन्धित चयन वर्ष में वाणिज्य कर विभाग के कार्मिकों से नीचे रखा गया है।

उपरोक्तानुसार पूर्व मनोरंजन कर विभाग के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों को वाणिज्य कर

.....................2

विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुये दिनाक 30.06.2022 तक के चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जा रही है। कृपया अपने अधीनस्थ समस्त चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के कर्मचारियों को प्रत्येक दशा में सूची अवलोकित करा दिया जाय तथा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित विवरण को सम्बन्धित कार्यालय में रक्षित सेवापुस्तिकाओं से भी मिलान कर लिया जाये। तत्पश्चात् इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन)/सहायक आयुक्त अपने संयुक्त आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें कि उनके अधीनस्थ समस्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित विवरण अवलोकित करा दिया गया है। यदि किसी कार्मिक को ज्येष्ठता सूची में अपने स्थान/अपने सम्मुख अंकित समस्त विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है अथवा किसी कार्मिक का नाम व विवरण अंकित होने से रह गया है, तो उस कार्मिक से दिनांक 03.10.2024 तक प्रत्यावेदन /आपत्ति प्राप्त कर, उसे प्रत्येक दशा में नियत तिथि 09.10.2024 तक अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी, अपेक्षित साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाये, ताकि तदनुसार ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके।

संलग्नक–अनन्तिम ज्येष्ठता सूची।

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक व उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उनके अधीनस्थ तैनात सम्बन्धित कर्मचारियों को अवलोकनार्थ एवं दिये गये उपरोक्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0 उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
6. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय।
8. समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10. पटल प्रभारी, स्था–6 सामान्य, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, राज्य कर मुख्यालय।
11. प्रांतीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी, राज्य कर, लखनऊ।

(रमेश चन्द दुबे)
संयुक्त आयुक्त (स्था0अरा0), राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।